काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY
An Institution of National Importance established by an Act of Parliament

उद्यान विशेषज्ञ इकाई कार्यालय
Office of the
Horticulturist Unit

पत्रांक संख्या:- एच/एफ-28/2026-27/533

दिनांक: 19.11.2026

लकड़ी नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 06 पेड़ों की नीलामी प्रस्तावित है। इन पेड़ों के पातन हेतु वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

उक्त पेड़ों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से समिति की उपस्थिति में उद्यान विशेषज्ञ इकाई कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर उद्यान विशेषज्ञ इकाई कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीकरण करवा सकते हैं तथा बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि एवं समय की सूचना पूर्व में अलग से प्रदान की जाएगी। नीलामी हेतु निर्धारित पेड़ों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	स्थल का नाम	व्यास वर्ग (से. मी. में)	वन विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि
1.	विभिन्न प्रजाति के वृक्ष	06	विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थलों पर स्थित नाकाबिल/ काबिल वृक्ष	वृक्षों की सूची संलग्न	18,208.00
		06 वृक्ष		**कुल धनराशि**	**18,208.00**

नियम एवं शर्तें:-

1. पेड़ों की नीलामी "***जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है***" के आधार पर की जाएगी।
2. नीलामी में भाग लेने के लिए ₹ 200/- (दो सौ रुपये मात्र) ***(वापसी योग्य नहीं)*** का फॉर्म, वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस) की प्रति जमा करने पर उपलब्ध होगा।
3. फॉर्म भरते समय प्रत्येक निविदाकर्ता को ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) की जमानत राशि नगद जमा करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता के जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य होगा।
4. फॉर्म एवं जमानत राशि जमा करने की अंतिम तिथि 26.11.2026 सायं 05:00 बजे तक उद्यान विशेषज्ञ इकाई कार्यालय में होगी।
5. सर्वोच्च बोली स्वीकार होने पर संबंधित निविदाकर्ता को 7 दिनों के भीतर पूर्ण राशि तीन चेक के माध्यम से जमा करनी होगी, अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. निविदाकर्ता को स्वयं पेड़ों का निरीक्षण करना होगा। अतिरिक्त जानकारी उद्यान विशेषज्ञ इकाई कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी स्वीकृत होने के बाद किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
7. नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार की क्षति के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
8. निविदा समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. क्रेता को गेट पास तभी जारी किया जाएगा जब वह वन विभाग, वाराणसी से टी.पी. परमिट प्राप्त कर लेगा।
10. नीलामी के उपरांत नीलामी जिस निविदाकर्ता के पक्ष में जारी होगी, उसे वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं लागू नियमों के अनुसार, बोली राशि पर देय सभी लागू करों, जिसमें जीएसटी भी सम्मिलित है, का भुगतान करना होगा।

19/11/2026
for (आचार्य प्रभारी)
उद्यान विशेषज्ञ इकाई